(III)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation Bill (No.2), 2006, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th March, 2006."

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, I beg to announce that Government Business in this House for the week commencing 13th March, 2006 will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Reply to General Discussion on General Budget for 2006-07.
3. Consideration and return of the following Bills as passed by Lok Sabha:-
   (a) The Appropriation Bill, 2006; and
   (b) The Appropriation (No.2) Bill, 2006.
4. Discussion on the working of the following Ministries:-
   (a) External Affairs,
   (b) Information and Broadcasting,
   (c) Labour and Employment,
   (d) Panchayati Raj and
   (e) Rural Development.

5. Consideration and return of the Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 2006 relating to Demands for Grants (Railways) for 2006-07, after it has been passed by Lok Sabha.

6. Consideration and return of the Appropriation (No. 3) Bill, 2006 relating to Demands for Grants (General) for 2006-07, after it has been passed by the Lok Sabha.

GOVERNMENT BILL

The Khadi And Village Industries Commission (Amendment) Bill, 2006

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

> "खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्रीमन्, पिछले कुछ वर्षों में खादी क्षेत्र में रोजगार में अत्यधिक गिरावट और खादी उत्पादों की बिक्री में स्थिरता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की संरचना में उपयुक्त बदलाव किया जाए, आयोग में आधुनिक प्रबन्धन पद्धतियाँ लागू की जाएँ और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केवीआईसी को सक्षम किया जाए। इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को पुनरुज्जीवित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिसम्बर, 2004 में एक दस-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति को केवीआईसी की संरचना, कार्यकुशलता और कार्य-निष्पादन की समीक्षा करके उसे सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2005 में प्रस्तुत की। श्रीमन्, सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर मौजूदा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए दिनांक 22 अगस्त, 2005 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में आयोग की संरचना और कार्यों को सुनिश्चित करने वाले मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों को अधिक professional (पेशेवर) तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है।

विधेयक में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:-

(क) आयोग के आंचलिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र में 10 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता का प्रावधान करना।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन और बैंकिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो और अंशकालिक विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करना।